662वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 21 जुलाई 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 662वीं बैठक दिनांक 21/07/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No 7642/2020 Shri Kamlesh Patel S/o Shri Dulichand Patel, R/o Mujhgawan, Tehsil & DIst. Sagar, MP - 470226 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (15000 cum per annum) (Khasra No. 190 Part), Village - Hathkoh, Tehsil - Devri, Dist. Sagar (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री कमलेश पटेल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्धाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा, उ.प्र. द्वारा दिनांक 21/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri KAMLESH PATEL, Owner, S/o Duli Chand Patel village Majhguwan, Sagar MP 470001	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	190 Part (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.00 hectare
स्थल	Village Hathkoh, Tehsil Devri, District Sagar, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1425 दिनांक 11/09/2018 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1 Stone Quarry	
टॉर	समिति की पूर्व की 460वीं बैठक दिनांक 24/09/20 में उत्पादन क्षमता पत्थर–15,000 घनमीटर /वर्ष के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–37,500 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है	

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 40 दिनांक 17/01/2020 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 27.48 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	वन मण्डलाधिकारी, सागर के क्रमांक 646 दिनांक 13/02/18 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	तहसीलदार, तहसील देवरी के पत्र क्रमांक निरंक एवं दिनांक निरंक अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय /नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–5 दिनांक 03/10/17. अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा– जल निकाय क्षेत्र 209 मीटर.
	दक्षिण पूर्व दिशा– Exhausted Mine जिसमें पानी भरा हुआ है।
	पश्चिम दिशा– की ओर खदान से लगी हुई पक्की रोड़ आकर समाप्त हो रही है इस संबंध परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह हॉलेज रोड़ है ।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की जनसुवाई में धूल की समस्या, जल छिडकाव, वृक्षारोपण, मजदूरो के स्वास्थ्य की समस्या, रोजगार इत्यादि आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 330 पर दर्ज है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन –15,000 मी^{3} प्रति वर्ष।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.32 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.86 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
चिरचिटा खुखजू शासकीय प्राथमिक शाला में डेस्कटॉप एवं प्रिंटर की व्यवस्था	75,000
ग्राम हथखोह के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	25,000
योग	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर) ट्री–गार्ड के साथ ।	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	485
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु)ग्राम पंचायत चिरचिटाखुखजू	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत चिरचिटाखुखजू के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां (पूर्ण सुरक्षा सहित)	400
6	ग्राम पंचायत चिरचिटाखुखजू के प्राथमिक	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां (पूर्ण सुरक्षा सहित)	215

	शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में		
		कुल	2000

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

2. Case No 10043/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP), Prior Environment Clearance for Ghorakoni Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (4000 cum per year) (Khasra No. 48), Village-Ghorakoni, Tehsil-Sihora, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 21/07/23 को उपस्थित हुए और उनके समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला – जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	48 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.00 Ha.
स्थल	Village- Ghorakoni, Tehsil- Sihora, District- Jabalpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम एवं गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	यह खदान हिरन नदी के मियन्डर में स्थित है, जिसमें कुछ पेड़ लगे हुए है जिन्हे काटा जाना प्रस्तावित नही है। खदान का कुछ भाग पानी डूबा होने के कारण 1.5 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.5 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–4,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–4,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 4,000 के रेत का पुनरभराव होगा ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2470 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य	

	कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का आता है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2470 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2470 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कछपुरा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–4 दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–35 के सरल क्रमांक–39 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–4,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 4,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान निर्देश दिये कि परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित कर लेंवे कि यदि रेत परिवहन मार्ग यदि निजि भूमि से हो तो संबंधित भू–स्वामी की सहमति प्राप्त कर लेवें एंव वृक्षों को कोई क्षति न पहुँचे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 4,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.12 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.33 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.17 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
Stationary distribution among the Students of Govt. School of village- Ghorakoni	17,500

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर 6 से 1 नदी तट से) (पंक्तियों में	पंक्ति 3-1– खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	1302
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस	347
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	144
2	ग्राम घोराकोनी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	607
3			
✓ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। ✓ टीप : सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।			
		कुल	2400

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

3. Case No 10044/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Gadaghat Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (4000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Garaghat, Tehsil-Patan, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा दिनांक 21/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला – जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80

परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.0 Ha.
स्थल	Village- Gadaghat, Tehsil- Patan, District- Jabalpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम एवं गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	यह खदान हिरन नदी में स्थित है, जिसका लगभग 60 प्रतिशत भाग पानी डूबा हुआ है। पानी मे डूबा होने के कारण 1.28 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.72 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–4,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–4,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा ..4,000 रेत का पुनरभराव होगा ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलुपर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2492 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलुपर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2492 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलुपर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2492 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गाड़ाघाट जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 08/06/23 को प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित किया गया ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–62 के सरल क्रमांक–30 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–4000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 4000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय	

	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान निर्देश दिये कि परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित कर लेंवे कि यदि रेत परिवहन मार्ग यदि निजि भूमि से हो तो संबंधित भू–स्वामी की सहमति प्राप्त कर लेवें एंव वृक्षों को कोई क्षति न पहुँचे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 4,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.43 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.69 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.17 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम गडाघाट की प्राथमिक माध्यमिक पाठशाला के अधोसंरचना विकास एवं उपयोगी उपकरण/ इत्यादि	17,500

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर 6 से 1 नदी तट से) (पंक्तियों में	पंक्ति 3-1– खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (1.0 से 1.5 मीटर अंतराल)	1638
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस	364
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	109
2	ग्राम गडाघाट के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	289

✓ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा|

✓ प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा|

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।	
✓ टीप : सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।	
कुल	2400

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

4. Case No 10045/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Amakheda Sand Quarry in an area of 0.80 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Amkheda, Tehsil-Patan, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा प्रस्तावित खदान का दिनांक 21/07/23 को समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला – जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	0.80 Ha.
स्थल	Village- Amakheda, Tehsil- Patan, District- Jabalpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम एवं गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	यह खदान हिरन नदी में स्थित है, खदान के दक्षिणी भाग से एक नदी की धारा का बहाव हो रहा है । खदान का भाग पानी डूबा होने के कारण 0.32 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.48 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–5,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–5,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 5,000 रेत का पुनरभराव होगा ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2487 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 का है ।	

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2487 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2487 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कटरा बेलखेड़ा जिला जबलपुर के क्रमांक निरंक दिनांक निरंक अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–62 के सरल क्रमांक–32 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–6000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान निर्देश दिये कि परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित कर लेंवे कि यदि रेत परिवहन मार्ग यदि निजि भूमि से हो तो संबंधित भू–स्वामी की सहमति प्राप्त कर लेवें एंव वृक्षों को कोई क्षति न पहुँचे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 5,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.51 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.52 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.19 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
05 set of Chairs for teachers to be provided to Govt. School of village-Amkheda	10,000
Stationary distribution among the Students of Govt. School of village-Amakheda	9,900

योग	19,900

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम .....वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर 6 से 1 नदी तट से) (पंक्तियों में	पंक्ति 3-1– खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (1.0 से 1.5 मीटर अंतराल)	456
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस	122
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	50
2	ग्राम अमखेड़ा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	332
✓ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। ✓ टीप : सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।			
		कुल	960

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

5. **Case No 10046/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Devri Kanhai Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 782), Village-Devri Kanhai, Tehsil-Sihora, District-Jabalpur (MP)**

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा प्रस्तावित खदान का दिनांक 21/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला – जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	782 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.00 ha
स्थल	Village- Devri Kanhai, Tehsil- Sihora, District- Jabalpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम एवं गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	यह खदान हिरन नदी में स्थित है, जिसमें नदी के मध्य भाग से जल का बहाव हो रहा है एवं खदान के दक्षिणी भाग में कुछ पेड़ लगे हुए है जिन्हे काटा जाना प्रस्तावित नही है। खदान का भाग पानी डूबा होने के कारण 0.83 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.17 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 2,000 रेत का पुनरभराव होगा ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2467 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2467 दिनांक 27/03/23 अनुसार प्राणी जातीय जैवविविधता का विशिष्ट क्षेत्र कक्ष क्रमांक पी.एफ. 37 स्थित है, जिसका उल्लेख कार्य आयोजना वन मण्डल, जबलपुर में है और 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2467 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत छनगवॉ जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।	

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–63 के सरल क्रमांक–37 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–4,200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान निर्देश दिये कि परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित कर लेंवे कि यदि रेत परिवहन मार्ग यदि निजि भूमि से हो तो संबंधित भू–स्वामी की सहमति प्राप्त कर लेवें एंव वृक्षों को कोई क्षति न पहुँचे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 2,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.77 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.55 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम देवरी कन्हाई की प्राथमिक माध्यमिक पाठशाला के अधोसंरचना विकास एवं उपयोगी/ उपकरण इत्यादि	13,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर 6 से 1 नदी तट से) (पंक्तियों में	पंक्ति 3-1– खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ	996
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस	265
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	110
2	ग्राम देवरी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1029

✓ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। ✓ टीप : सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।	
कुल	2400

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

6. Case No 10047/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Dharampura Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 415), Village-Dharampura, Tehsil-Shahpura, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा प्रस्तावित खदान का दिनांक 21/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला – जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	415 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	3.00 ha.
स्थल	Village- Dharampura, Tehsil- Shahpura, District- Jabalpur, Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम एवं गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है, जिसका कुछ भाग पानी डूबा है खदान का भाग पानी डूबा होने के कारण 1.2 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 1.8 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 30,000 रेत का पुनरभराव होगा ।	

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2479 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2479 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन/ जैव विविधता नहीं है आवेदित क्षेत्र वन भूमि से 250 मीटर से कम दूर होने के कारण प्रकरण में संभागीय स्तर समिति से दिनांक 19/01/23 द्वारा अनापत्ति प्राप्त है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2479 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत धरमपुरा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–5 दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–61 के सरल क्रमांक–18 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–36,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 30,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान निर्देश दिये कि परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित कर लेंवे कि यदि रेत परिवहन मार्ग यदि निजि भूमि से हो तो संबंधित भू–स्वामी की सहमति प्राप्त कर लेवें एंव वृक्षों को कोई क्षति न पहुँचे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 30,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. खदान नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण सिर्फ मेन्यूअल माईनिंग ही की जाये ।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.14 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.52 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.82 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम धरमपुरा की प्राथमिक माध्यमिक पाठशाला के अधोसंरचना विकास एवं उपयोगी/ उपकरण इत्यादि	37,000
15 No of Solar Light Nearby village road and School @3000	45000
योग	82,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर 6 से 1 नदी तट से) (पंक्तियों में	पंक्ति 3-1– खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (1.0 से 1.5 मीटर अंतराल)	1452
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस	387
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	161
2	ग्राम धरमपुरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1600
✓ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा| ✓ प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा| ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे| ✓ टीप : सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा|			
		कुल	3600

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

7. <u>Case No 10048/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Binduli Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 180), Village-Binduli, Tehsil-Majholi, District-Jabalpur (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा प्रस्तावित खदान का दिनांक 21/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला – जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	180 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	1.00 ha.
स्थल	Village- Binduli, Tehsil- Majholi, District- Jabalpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम एवं गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	यह खदान हिरन नदी में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग पानी डूबा हुआ है खदान का भाग पानी डूबा होने के कारण 0.8 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.2 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 10,000 रेत का पुनरभराव होगा ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2463 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2463 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2463 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक नहीं है। मानव बसाहट / आबादी से 200 मीटर एवं शमशान भूमि 300 मीटर दूर है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हिनौता जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–5 दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।	

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–63 के सरल क्रमांक–38 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–10,200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान गूगल इमेज देखने यह पाया कि खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है एंव पुरानी गूगल इमेज देखने से भी रेत की पर्याप्त उपलब्धता नही दिख रही है। ऐसी स्थिति मे परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3400 घनमीटर प्रति वर्ष अनुशंसा की मांग की गई, इस संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि 3,000 घनमीटर प्रति वर्ष की अनुशंसा की जावें।

समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित कर लेंवे कि यदि रेत परिवहन मार्ग यदि निजि भूमि से हो तो संबंधित भू–स्वामी की सहमति प्राप्त कर लेवें एंव वृक्षों को कोई क्षति न पहुँचे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 3,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.78 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.38 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.32 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम बिंदुली की प्राथमिक माध्यमिक पाठशाला के अधोसंरचना/विकास एवं उपयोगी उपकरण इत्यादि	32,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर 6 से 1 नदी तट से) (पंक्तियों में	पंक्ति 3-1– खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (1.0 से 1.5 मीटर अंतराल)	507
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस	170

		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	50
2	ग्राम बिंदुली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	473
✓ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। ✓ टीप : सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।			
		कुल	1200

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

8. Case No 10049/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kalyanpur Sand Quarry in an area of 2.90 ha. (7000 cum per year) (Khasra No. 121), Village- Kalyanpur, Tehsil- Kundam, District- Jabalpur, Madhya Pradesh.

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा प्रस्तावित खदान का दिनांक 21/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला – जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	121 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.90 ha.
स्थल	Village- Kalyanpur, Tehsil- Kundam, District- Jabalpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	

रेत प्रकरणों में नदी का नाम एवं गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	यह खदान गौर नदी में स्थित है, खदान के कुछ भाग से नदी की धारा निकल रही है तथा उत्तर दिशा में 280 मीटर पर पक्का रोड़ ब्रिज खदान के अप स्ट्रीम में स्थित है । नदी की धारा होने के कारण 0.79 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 2.11 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–7,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–7,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 7,000 रेत का पुनरभराव होगा ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2459 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2459 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2459 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कल्याणपुर जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–4 दिनांक 08/06/23 को प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–60 के सरल क्रमांक–09 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–77,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित कर लेंवे कि यदि रेत परिवहन मार्ग यदि निजि भूमि से हो तो संबंधित भू–स्वामी की सहमति प्राप्त कर लेवें एंव वृक्षों को कोई क्षति न पहुँचे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–7,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.66 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.96 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम कल्यानपुर की प्राथमिक माध्यमिक पाठशाला के अधोसंरचना विकास एवं उपयोगी/ उपकरण इत्यादि	25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3480 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर से 1 नदी तट से) (पंक्तियों में 6	पंक्ति 3-1– खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (1.0 से 1.5 मीटर अंतराल)	1626
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस	433
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	180
2	ग्राम कल्यानपुर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1241
✓ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। ✓ टीप : सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।			
		कुल	3480

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

9. Case No 10050/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP)-462011, Prior Environment

Clearance for Mala Khurd Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (4000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Mala Khurd, Tehsil-Patan, District-Jabalpur

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा प्रस्तावित खदान का दिनांक 21/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला – जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थाना का नाम व पता	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01(सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	2.00 ha.
परियोजना स्थल	Village- Mala Khurd, Tehsil- Patan, District- Jabalpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम एवं गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	यह खदान हिरन नदी में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग पानी मे डूबा हुआ है। खदान का भाग पानी डूबा होने के कारण 1.68 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.32 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–4,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–4,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 4,000 रेत का पुनरभराव होगा ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2465 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2465 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2465 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05–10 मकान लगानी भूमि पर बने हैं और शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान	

	घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मालाकलॉ जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–7 दिनांक 14/04/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–62 के सरल क्रमांक–26 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–4800 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 4,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित कर लेंवे कि यदि रेत परिवहन मार्ग यदि निजि भूमि से हो तो संबंधित भू–स्वामी की सहमति प्राप्त कर लेवें एंव वृक्षों को कोई क्षति न पहुँचे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत– 4,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.48 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू.02.11 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.18 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम माला खुर्द की प्राथमिक माध्यमिक पाठशाला के अधोसंरचना विकास एवं उपयोगी/ उपकरण इत्यादि	18,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर से 1 नदी तट से) (पंक्तियों में 6	पंक्ति 3-1– खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (1.0 से 1.5 मीटर अंतराल)	1128
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस	451

		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	188
2	ग्राम माला खुर्द के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	633
✓ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। ✓ टीप : सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।			
		कुल	2400

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No 10051/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Sagar (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Mandala Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 91/274), Village-Mandla, Tehsil-Majholi, District-Jabalpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश भूमरकर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री के.सी. पाण्डा, मेसर्स ओसियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. द्वारा प्रस्तावित खदान का दिनांक 21/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एंव साथ में श्री विजय चक्रवर्ती, खनिज निरीक्षक, जिला – जबलपुर समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थाना का नाम व पता	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC- MPSMC उप माहाप्रबंधक, उप कार्यालय, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, सागर (MP)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	91/274 (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	1.00 ha
स्थल	Village- MANDALA, Tehsil- MAJHOLI, District- Jabalpur, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	

श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 Sand Quarry
रेत प्रकरणों में नदी का नाम एवं गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	यह खदान हिरन नदी में स्थित है, जो नदी के मियन्डर पर स्थित है एवं आंशिक रूप से जल मग्न है, खदान का भाग पानी डूबा होने के कारण 0.52 हे. क्षेत्र गैर खनन् क्षेत्र एवं 0.48 हे. में खनन् कार्य किया जावेगा, जिसका उल्लेख सरफेस मेप में है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है और इतनी ही मात्रा 10,000 रेत का पुनरभराव होगा ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2994 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदाने संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2994 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2994 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कूंडा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–5 दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–63 के सरल क्रमांक–40 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल–12,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान निर्देश दिये कि परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित कर लेंवे कि यदि रेत परिवहन मार्ग यदि निजि भूमि से हो तो संबंधित भू–स्वामी की सहमति प्राप्त कर लेवें एंव वृक्षों को कोई क्षति न पहुँचे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–बी अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 10,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.25 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.08 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.31 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम मंडला की प्राथमिक माध्यमिक पाठशाला के अधोसंरचना विकास एवं उपयोगी/ उपकरण इत्यादि	31,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर से 1 नदी तट से) (पंक्तियों में 6	पंक्ति 3-1– खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (1.0 से 1.5 मीटर अंतराल)	691
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस	230
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	69
2	ग्राम मंडला के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	210
✓ 5 साल तक पौधे का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत/ स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था /सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना किसी भी पेड़ को काटा /उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। ✓ टीप : सम्पूर्ण वृक्षारोपण मौके पर, स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।			
		कुल	1200

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

11. <u>Case No 9558/2022 Shri Sunil Jain, Firozpur Jairka District-Mewat (Haryana) - 122104 Prior Environment Clearance for Bajana Stone Quarry (Temporary Permit)</u>

in an area of 1.00 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 171/2/2 Private Land), Village-Bajana, Tehsil-Bitharwar, District-Gwalior (M.P.).

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 171/2/2), Village-Bajana, Tehsil-Bitharwar, District-Gwalior (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

सेक की 625वी बैठक दिनांक 01/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील जैन (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, (ऑनलाईन) मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1666 दिनांक 06/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के पश्चिम दिशा में 80 मीटर पर जल रोकने की संरचना, पूर्व दिशा में 500 मीटर की अधिक दूरी पर नहर तथा पश्चिम दिशा में 415 मीटर पर मौसमी नाला है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण अस्थाई अनुज्ञा का है, जो निजी भूमि पर आवंटित है तथा पश्चिम दिशा में 80 मीटर पर जल रोकने की संरचना हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में वृक्ष लगे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह आवंटित खनन् क्षेत्र में 02 पेड़ लगे है जिसमें से 01 पेड़ काटा जायेगा तथा उसके बदले में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1666 दिनांक 06/12/2022 के द्वारा सूचित किया है कि इस खदान का नाम नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ा जायेगा । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 50,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.61 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.44 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.75 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में

शासकीय प्राथमिक विद्यालय में एक कम्पयूटर एवं एक माइक्रोस्कोप दिया जाएगा।	75,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	**आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां**	**300**
2	परिवहन मार्ग पेड़ों की न्यूतम) (मीटर 1 ऊंचाई	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां (ट्री गार्ड सहित)	**200**
	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	**700**
		कुल	1200

सिया की 785वीं बैठक दिनांक 10/05/23 द्वारा सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है । प्रकरण समिति की 654वीं बैठक दिनांक 16/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत है, परीक्षण उपरांत पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी प्रस्तुत नही की गई है । अतः परियोजना प्रस्तावक से पूर्ण वांछित जानकारी प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 30/06/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की 662वीं बैठक दिनांक 21/07/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक शपथ पत्र द्वारा खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किये जाने का प्रस्ताव दिया है तथा पश्चिम दिशा में 80 मीटर पर जल रोकने की संरचना होने के कारण 20 मी. का सेट–बेक का भी प्रस्ताव दिया है। अतः आवश्यक खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध हो रहा है। अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 625वी बैठक दिनांक 01/03/23 मे **पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।**

12. <u>Case No 9875/2023 Shri Rajvansh Singh Rathore, R/o Banglow No. 01, Sadar Bajar Sagar, District Sagar (MP)-470001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (10000 Cum Per Year) (Khasra No. 140), Village-Kudari, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 140 P), Village-Kudari, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP) 1.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 645वीं बैठक दिनांक 05/05/23 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :–

1. परियोजना प्रस्तावक का शपथ–पत्र कि खनन् कार्य रॉक ब्रेकर द्वारा किया जावेगा।
2. खदान क्षेत्र की स्वाईल प्रोफाईल ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 30/06/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की 654वीं बैठक दिनांक 16/06/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन मे जो पौधों की प्रजाति दर्शायी गई है वह खदान स्थल के अनुकुल नही है, अतः पुनरिक्षित वृक्षारोपण योजना पुनः प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी दिनांक 30/06/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति समक्ष दिनांक 21/07/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री राजवंश सिंह राठौर ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन–10,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.77 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.13 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम कुडारी के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए 3 कंप्यूटर और 1 कलर प्रिंटर एवं 1 ब्लैक – वाइट प्रिंटर दिए जायेंगे	80,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम .....वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	700
		कुल	1200

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No 9171/2022 Shri Kishan Singh Chouhan, Owner, Village - Sada, Tehsil - Bahoribandh, Dist. Katni, MP - 483331 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (8000 Cum per annum) (Khasra No. 412 Part), Village - Sada, Tehsil - Bahoriband, Dist. Katni (MP) EIA Consultant: Cognigance Research India (P) Ltd., Noida (U.P.).

प्रकरण 577वीं बैठक दिनांक 11/06/22 एवं समिति की पूर्व की 574वीं बैठक दिनांक 29/05/22 अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा गया।

सिया के पत्र क्रमांक 1176 दिनांक 15/07/22 द्वारा प्रकरण को रिलिस्ट कर सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है । प्रकरण सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 को जिसमें कटनी जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक में परीक्षण हेतु प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है साथ ही समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रकरणों को ऑनलाईन स्वीकार करते समय उपरोक्त स्थिति का ध्यान रखा जाये ताकि प्रकरणों के लम्बित रहने की स्थिति न बने ।

सिया की 785वीं बैठक दिनांक 10/05/23 द्वारा सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है । प्रकरण समिति की 654वीं बैठक दिनांक 16/06/23 को प्रस्तुत हुआ, जिसमें प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा मे 180 मी. की दूरी पर एक पक्का रोड़ है एंव उत्तर दिशा में 185 मी. की दूरी पर एक जल रोकने की संरचना है। अतः तत्संबंध में आवश्यक सेट–बेक प्रस्तावित किया जाकर पुनरिक्षित सर्फेस मेप प्रस्तुत करें।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी दिनांक 30/06/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति समक्ष दिनांक 21/07/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री किशन सिंह चौहान और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. ऑनलाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पश्चिम दिशा मे पक्का रोड़ 180 मी. की दूरी एंव उत्तर दिशा में 185 मी. की दूरी पर एक जल रोकने की संरचना होने के कारण क्रमशः 20 मी. एंव 15 मी. सेट–बेक सर्फेस मेप मे प्रस्तावित किया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन–8,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.81 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.20 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडा की आवश्यकता अनुसार तथा सुझाव के अंतर्गत व्हीलचेयर व स्ट्रेचर वितरण किये जावेंगे	70,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
3	खदान के के बहार की तरफ बने कंटूर ट्रेंचेस क्षेत्र में	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	450
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता] निम्बू] आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
		कुल	1200

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

14. <u>Case No 9904/2023 Shri Gulab Singh, Lessee, R/o Jhukehi, District-Satna (MP)-485773, Prior Environment Clearance for Punchhi Murrum Quarry in an area of 1.72 ha. (11903 cum per annum) (Khasra No. 472, 475), Village-Punchhi, Tehsil-Katni, District-Katni (MP)</u>

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 472, 475), Village-Punchhi, Tehsil-Katni, District-Katni (MP) 1.72 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की 650वीं बैठक दिनांक 08/06/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि वे निम्न बिंदुओ पर जानकारी प्रस्तुत करे :–

- पुनरक्षित सर्फेस मेप मे खदान के अंदर पेड़ो को दर्शाते हुये नॉन–माइनिंग एरिया दर्शावें।
- बैरियर जोन में 05 से 06 स्थानो में स्वाईल प्रोफाईल का फोटोग्राफ सहित विवरण।
- पुनरक्षित फेंसिंग की लागत (@ 500/– प्रति मीटर) ई.एम.पी. मे शामिल करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी दिनांक 05/07/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति समक्ष दिनांक 21/07/23 को रखा गया, परियोजना प्रस्तावक श्री गुलाब सिंह ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम (हरियाणा) उपस्थित हुए । तकनीकी प्रस्तुतीकरण मे पुनरक्षित सर्फेस मेप मे खदान के अंदर पेड़ो को दर्शाते हुये नॉन–माइनिंग एरिया दर्शाते हुये बताया कि 0.68 हे. गैर–खनन क्षेत्र एंव 1.24 हे. खनन क्षेत्र उपलब्ध होगा।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम–11,903 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.92 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.16 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.45 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
पूंक्षी शासकीय प्राथमिक शाला में 2 बेंच व 10 कुर्सियों की व्यवस्था	**15,000**
पूंक्षी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	**30,000**
योग	45,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1720 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, काला एवं सफ़ेद सिरस, चिरोल, करंज,	150

		बबूल, अजूगा सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, अजूगा, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां ट्री गार्ड सहित	500
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, अजूगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु) ग्राम पंचायत पूंक्षी)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	320
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत पूंक्षी के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां पूर्ण सुरक्षा सहित	300
6	ग्राम पंचायत पूंक्षी के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां पूर्ण सुरक्षा सहित	300
		कुल	1720

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

15. <u>Case No 9966/2023 Shri Vishakha Mandloi R/o-Gumanpura, Bagdi, District-Dhar (MP)-454116, Prior Environment Clearance for Bamoura Murrum Quarry in an area of 4.00 ha. (40000 cum per year) (Khasra No. 98), Village-Bamoura, Tehsil-Ujjain, District- Ujjain (MP)</u>

प्रकरण समिति की 656वीं बैठक दिनांक 23/06/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक को बैरियर जोन में ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल मय जियोटेग फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/07/23 के द्वारा वांछित जानकारी अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 21/07/23 को रखा गया, परियोजना प्रस्तावक श्री वैसाखा मंडलाई और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुये। उपस्थित हुए ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम–40,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 36.50 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.39 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम बामोरा के आंगनवाड़ी केंद्र में रसोई घर का निर्माण करवाया जायेगा	1,60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बेरियर ज़ोन में	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	620
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड(2100 मीटर) के दोनों ओर 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	1050
3	आस पास के पांच गाव चांदूखेड़ी, रतनाखेड़ी, बमोरा, देवराखेड़ी, मंगरोला के किसानो को पौधे वितरण किये जायेंगे	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	3130
		कुल	**4800**

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

16. <u>Case No 9967/2023 Shri Nilesh Yadav R/o-LIG Vijay Nagar, District-Dewas (MP)-452010, Prior Environment Clearance for Pitavali Stone for Gitti and M-Sand in an area of 3.60 ha. (Stone-20000 M-Sand-20000 cum per year) (Khasra No. 307/1, 308, 381/1, 383/2, 384/2), Village-Pitavali, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP)</u>

प्रकरण समिति की 656वीं बैठक दिनांक 23/06/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:–

1. आवेदित खसरा न0. 307/1 का भू–स्वामित्व श्री पप्पू के नाम पर है एंव इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक एंव भू–स्वामित्व श्री पप्पू के मध्य कोई एग्रीमेंट प्रस्तुत नही किया गया है, अतः वांछित जानकारी प्रस्तुत करे।
2. प्रस्तावित एम. सेण्ड प्लांट से निकलने वाली स्लरी का मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत करें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/07/23 के द्वारा उपरोक्त वांछित जानकारी अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 21/07/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री नीलेश यादव ओर उनकी ओर से परियोजना प्रस्तावक श्री विशाल पहवानी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन–20,000 मी^{3} प्रति वर्ष एवं एम–सेंड–20,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 30.52 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 04.24 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम पीतावली के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में लकड़ियों के लिए शौचालय मय पानी की टंकी का निर्माण किया जायेगा	50,000
ग्राम पीतावली के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों एवं मानसिक विकास के लिए पज़ल गेम का वितरण किया जायेगा	30,000
ग्राम पीतावली के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 2 कम्प्यूटर टेबल 2, कुर्सी एवं 1 प्रिंटर दिया जायेगा	70,000
कुल	**1,50,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 1100 मीटर की लम्बाई पर तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा)	आम, जामुन, सीताफल,अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	830
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड)10 के दोनों (मी 00 फ़ीट की उचाई 4 ओर वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	1000
3	आस पास के 4 गाव पीतावली, खेड़ा, राजोद, काकुण्ड, के किसानो को पौधे वितरण किये जायेंगे	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	1770
		कुल	**3600**

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

17. <u>Case No 9364/2022 Shri Navneet Chouksey, Owner, Parasia, Dist. Chhindwara, MP – 480441 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (5016 Cum per annum) (Khasra No. 1/18), Village - Gajandoh, Tehsil - Umreth, Dist. Chhindwara (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1/18), Village - Gajandoh, Tehsil - Umreth, Dist. Chhindwara (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की 602वीं बैठक दिनांक 03/11/22 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित खनिज अधिकारी से वास्तविक को–आर्डिनेट प्राप्त न होने के कारण प्रकरण समिति की 614वीं बैठक दिनांक 23/12/22 के द्वारा प्रकरण को डिलिस्ट कर, सिया को प्रेषित किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/07/23 के द्वारा समिति के निर्देशानुसार जानकारी अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 21/07/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री नवनीत चौकसे (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स काग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि. गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने

बताया कि उनके द्वारा क्षेत्रीय प्रमुख संचानालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर से अनुमोदित संशोधित खनन् योजना पत्र क्रमांक 2418 दिनांक 28/06/23 के कराई गई है जिसमे प्रस्तुत की संशोधित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान क्षेंत्र के उत्तर दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा में एक मौसमी नाला निकल रहा है तथा खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कोई भी पेड नही काटा जावेगा । प्रश्नाधीन खदान क्षेंत्र के मौसमी नाला के संबंध में समिति का निर्णय है कि चूंकि यह निजी भूमि है अतः नाले की सरंचना एवं भूआकृति को ध्यान में रखते हुए नाले से 20 मीटर पूर्व दिशा में दूरी छोडते हुए पूरे खदान में से 0.54 हे. की खनन् हेतु अनुशंसा की जाती है । परियोजना प्रस्तावक नॉन माईनिंग क्षेत्र (0.46 हे.) छोडते हुए सरफेस में प्रस्तुतीकरण के दौराना दर्शाया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन–5016 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.23 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.80 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
गाजनडोह शासकीय प्राइमरी स्कूल में टॉयलेट का निर्माण 02।	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम,करंज,चिरोल, खमेर, सीताफल, काला/सफ़ेद सिरस एवं अन्य प्रजातियाँ	640
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	कटंग बांस, करंज, चिरोल एवं अन्य प्रजातियाँ **ट्री गार्ड सहित**	100
3	विद्यालय	मौलश्री, पुत्रन्जीवा, कचनार, कदम, नीम एवं अन्य प्रजातियाँ	60
4	गाँव में वितरण	आवला, आम, जामुन एवं अन्य प्रजातियाँ	400
		कुल	**1200**

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No 10039/2023 Shri Komal Singh Thakur, Lease Owner, R/o A-161, Siddharth Lake City, Anand Nagar, Raisen Road, District-Bhopal (MP)-462022, Prior Environment Clearance for Chandbad Kadeem Stone Quarry in an area of 3.30 ha. (75,662 cum per year) (Khasra No. 361/1/2, 361/2, 362/1 & 362/2 Private land), Village-Chandbad Kadeem, Tehsil-Berasia, District-Bhopal (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री कोमल सिंह ठाकुर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवयारो केयर, भोपाल द्वारा प्रस्तावित खदान का दिनांक 21/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Komal Singh Thakur, Lease Owner, A-161, Siddharth Lake City, Anand Nagar, Raisen Road, Bhopal (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	361/1/2, 361/2, 362/1 & 362/2 (निजी परियोजना प्रस्तावक के स्वामित्व की–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	3.30 Ha.
स्थल	Village - Chandbad Kadeem, Tehsil- Berasiya, District Bhopal (MP)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 3828 दिनांक 10/04/17 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1 Stone Quarry	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार सिंगल रो ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया, भोपाल के पत्र 1298 दिनांक 23/09/17 द्वारा पत्थर–75,662 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–75,662 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–75,662 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1964 दिनांक 12/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 18.23 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1964 दिनांक 12/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल	

	पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
त्हसीलदार की अनापत्ति	तहसीलदार, तहसील बैरसिया जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 99 दिनांक 20/03/17 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– कच्चा रोड़ 13 मीटर एवं दक्षिण पश्चिम में – शेड 400 मीटर
	पूर्व दिशा– कच्चा रोड़ 10 मीटर एवं फार्म हाऊस 357 मीटर, कच्चा रोड के सबंधं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि यह हॉलेज रोड़ है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपठनीय है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः डिया की अन्य शर्तो के साथ विगत वर्षो मे खनिज का कितना उत्पादन कार्य किया गया उसका खनिज अधिकारी से वर्षवार विवरण, फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तो का शतप्रतिशत पालन प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. खदान मे पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो का कोई पालन परिलक्षित नही दिख रहा है, अतः भविष्य मे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 01–02 वर्ष मे पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो का पालन करेंगे।
4. प्रश्नाधीन खदान दक्षिण दिशा– कच्चा रोड़ 13 मीटर एवं दक्षिण पश्चिम में – शेड 400 मीटर पूर्व दिशा– कच्चा रोड़ 10 मीटर अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. वर्ष 1950 की स्थिति मे भू–अभिलेख/राजस्व रिकार्ड मे आवंटित खदान का पूर्व मे भूमि उपयोग क्या था इसका उल्लेख ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन टी.ओ.आर. जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. Case No 10064/2023 Shri Baliram Yadav, Project Proponent, R/o Ward no. 23, Deendayal Puram Colony, District-Balaghat (MP)-481001, Prior Environment Clearance for Banegaon Stone Quarry in an area of 1.30 ha. (11998 cum per year) (Khasra No. 01P), Village-Benegaon, Tehsil-Kirnapur, District-Balaghat (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री बलीराम यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवयारो केयर, भोपाल द्वारा प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 21/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri BALIRAM YADAV, Project Proponent, Ward No.23, Deendayal Puram Colony, Balaghat (M.P.) 481001	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 Part (सरकारी–नॉन फॉरेस्ट भूमि)	1.300 hectare
स्थल	Village Benegaon, Tehsil- Kiranapur, District - Balaghat MP.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक 1407 दिनांक 25/10/19 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1 Stone Quarry	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार कंट्रोल ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया, बालाघाट के पत्र 35 दिनांक 29/06/17 द्वारा पत्थर–12,004 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–11,998 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–11,998 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 386 दिनांक 17/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 18.837 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र	

की अनापत्ति	क्रमांक 386 दिनांक 17/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
त्हसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 386 दिनांक 17/04/23 अनुसार 180 मीटर की दूरी पर तालाब एवं 60 मीटर की दूरी पर कच्चा रास्ता है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बेनेगॉव जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–9 दिनांक 23/01/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	कुछ पेड़ लगे है
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र पहाड़ पर स्थित है जिसकी ऊचाई लगभग 36 मीटर है उत्तर दिशा– कच्चा रोड़ 232 मीटर
	दक्षिण दिशा– कच्चा रोड 80 मीटर एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में तालाब 225 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–36 के सरल क्रमांक–18 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः डिया की अन्य शर्तो के साथ विगत वर्षो मे खनिज का कितना उत्पादन कार्य किया गया उसका खनिज अधिकारी से वर्षवार विवरण, फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तो का शतप्रतिशत पालन प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. खदान मे पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो का कोई पालन परिलक्षित नही दिख रहा है, अतः भविष्य मे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 01–02 वर्ष मे पर्यावर्णीय स्वीकृति की शर्तो का पालन करेंगे।
4. प्रश्नाधीन खदान उत्तर दिशा– कच्चा रोड़ 232 मीटर, दक्षिण दिशा– कच्चा रोड 80 मीटर एवं अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हुये है अतः परियोजना प्रस्तावक खनन् क्षेत्र में स्थित पेडो की इंवेन्ट्री (उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ) ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके

स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. वर्ष 1950 की स्थिति मे भू–अभिलेख/राजस्व रिकार्ड मे आवंटित खदान का पूर्व मे भूमि उपयोग क्या था इसका उल्लेख ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें

अनुशंसा : उपरोक्त शर्तो के अधीन टी.ओ.आर. जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. <u>Case No. 10168/2023 Executive Engineer, O/o Executive Engineer, Water Resources Division, Mahuar Colony, District-Shivpuri, MP. Prior Environment Clearance for Sarkula Medium Lift Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 320.262 ha. [8277 CCA] at 42 Villages in Tehsil-Pohri, District-Shivpuri (MP) . Dam Height 43.0 m , Length of the Dam (m) - 474.80 meters , Category 1(c).</u>

This is a case of Prior Environment Clearance for Sarkula Medium Lift Irrigation Project an area of 8277 CCA ha. CCA at at 42 Villages in Tehsil-Pohri, District-Shivpuri (MP) . The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The project requires prior EC before commencement of any activity at site under category 1(c).

The case was presented by the Shri Ravindra Bhatia Env. Consultant from R. S. Envirolinks Technologies Pvt. Ltd. along with PP Shri Vinod Kumar Gupta , EE, Water Resources Division Shivpuri wherein PP submitted that the project has a command area of 8277 CCA ha. therefore as per EIA notification of September 2006 and subsequent amendment dated 14th August 2018, it is a Category B2 project (Medium irrigation project having CCA > 2000 ha and < 10000 ha)" and hence shall be appraised by SEIAA/SEAC, Madhya Pradesh. PP further submitted that the Sarkula Medium Irrigation project has been planned to cater to the irrigation water requirement of Pohri tehsil of Shivpuri District, which are declared drought prone areas due to acute shortage of surface and ground water sources. The project proposes to construct a 43.0 m high dam across Sarkula River near Pohri village to create 32.985 MCM of gross storage of water for drinking and irrigation. It will serve a command of 8277 ha (CCA) spread over 42 villages in Pohri tehsil of Shivpuri district. Water will be supplied by lifting from reservoir to distribution chamber through a 4.848 Km long Rising Main and thereafter it will be distributed in command by gravity. The PP stated that they have obtained stage II Forest Clearance vide no. I/ 38713/2023 dated 20.02.2023.

The salient features of the project are:

- Proposed dam is 474.80 m long Dam with a maximum height of 43 m.
- This being B2 project; Scoping Clearance and Public Hearing is exempt; Only Environment Management Plan needs to be prepared for appraisal.
- The project is planned by WRD, MP to provide irrigation & drinking water to Pohri tehsil of Shivpuri district.
- The project involves construction of a dam across Sarkula river, to create gross storage capacity of 32.985 MCM and live storage of 28.295 MCM.
- It will provide irrigation water to 8277 ha of CCA in 42 villages of Pohri tehsil of Shivpuri district.
- 2 MCM has been kept for drinking water.
- Families of other 9 villages will be losing their land due to submergence.
- Total of 42 families of the village will be displaced requiring resettlement and 3 families will lose their land.
- Kunopalpur WLS is at a shortest distance of 15.32 Km
- Total catchment area considered for present study is **131.25 sq km.**
- **Total catchment area – 13125.00 ha or Say 131.25 sq km.**
- Around 82% of the catchment area is prone to less than 1 tons/ha/annum soil erosion, termed as negligible soil erosion intensity class. While, around 0.69% is prone to severe and very severe soil erosion intensity class i.e. more than 80 tons/ha/annum.
- **As a part of Stage II Forest Clearance, DFO, Shivpuri vide his Letter No. D.M./2022/3380 dated 23/06/2022** raised demand of Rs. 19.66 Crore for Compensatory Afforestation (Rs. 6.84 Crore), NPV (Rs. 12.11 Crore) and CAT Plan (Rs. 71.45 Lakh).
- Forest Conservation Division (MoEFCC) has accorded Final/Stage-II Forest Clearance for 126.42 ha forest land vide letter no. 8-31/2021-FC dated 20/02/2023.
- An extent of 126.50 ha of Non-forest Land in Tonk village of Shivpuri tehsil, Shivpuri district lieu of 126.42 ha forest land has been proposed and approved towards Compensatory Afforestation.
- The cost of raising and maintaining the Compensatory Afforestation of Rs. 6,84,19,725/- at the prevailing wage as per Compensatory Afforestation Scheme and Net Present Value (NPV) of the forest land of Rs 15,53,18,348/- have been deposited in the account of CAMPA through online Parivesh Portal.
- A total of 6556 trees have been enumerated by forest department, out of which 4351 trees are at FRl -4m, therefore about 2205 trees will be felled.
- A total of 12 ha of green belt will be developed
- Approximately 4800 trees will be planted, mainly on the periphery of the reservoir; additionally on panchayat land and also avenue plantation on approach road.

- Mainly Khair and Satrukha (Tendu, Saja, etc) have been identified as trees species in submergence area

Committee after presentation and deliberation PP was asked to submit following information for further consideration of the project.

1. Furnish details of CO_2 emission & quantification from all sources and their management plan w.r.t. carbon foot print shall be studied and submit.
2. As per command area map some habitation falling within it hence, submit study report regarding seepage of water toward the residential area outside of the submergence due to capillery action to avoid any water logging.
3. Location –wise plantation scheme with species and numbers.
4. Revised CER include proposal as library development in the primary/ middle / higher schools at villages in the nearby project area (include name of schools), and development or equipped nearby PHC with medical instruments &also include proposal for Aganwadies development wrt basic facilities etc. as suggested by the committee.
5. Include habitat development in the Madhav National Park.
6. The PP not submitted the actual survey map prepared by the competent agency/department, but they agreed to submit the same before further meeting.

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु –

1. अनुमोदित खनन् योजना में संलग्न सरफेस मेप खनिज अधिकारी से प्रमाणित नहीं होते है, अतः अनुमोदित खनन् योजना में संलग्न नक्शों में खनिज अधिकारी से प्रमाणित करने बावत् सिया स्तर से निर्देश संचालनालन, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल को निर्देश दिये जाना अनुशंसित है ।
2. रेत खनन् के प्रकरणों में परीक्षण के दौरान गूगल अर्थ प्लेटफार्म पर उपलब्ध विभिन्न वर्षो के आधार पर इमेजों मे रेत की उपलब्धता मोटे तौर देखी जाती है परंतु वर्तमान में गूगल अर्थ प्लेटफार्म में गई स्थानों की गूगल इमेज अपलोड नहीं की जा रही है, इस कारण से रेत की उपलब्धता एंव अन्य संवेदनशील घटकों का आंकलन करने में कठिनाई आ रही है। अतः सिया स्तर से निर्देश जिला खनिज अधिकारी/संचालनालन, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल को निर्देश दिये जाना उचित होगा कि अप्रैल एवं मई माह की फोटोग्राफ्स संधारित करें, एंव रेत प्रकरणों के तकनीकी प्रस्तुतीकरण के दौरान संबंधित जिला खनिज अधिकारी प्रस्तुत कर सके जिससे की उपलब्ध क्षेत्र में रेत की उपलबधता का वास्तविक आंकलन किया जा सके।

21. Case No 9959/2023 Shri Ashish Dhakad, Lessee, R/o- Petrol Pump Behind City Centare Colony, District-Shivpuri (MP)- 473551, Prior Environment

Clearance for Govardha Khurd Stone, M-Sand & Khanda/Dhoka Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone- 20,000 m3/year M-sand - 5,000 m3/year & Khanda/Dhoka- 25,000 m3/year) (Khasra No. 7/4/11/4), Village- Govardha Khurd, Tehsil-Karahal, District-Sheopur (MP) .

परियोजना प्रस्तावक ने समिति को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित पत्र दिनांक 20/07/2023 द्वारा सूचित किया है कि उनका प्रकरण एसईएसी की 655वीं बैठक दिनांक 22/06/2023 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित एसईआईएए को प्रेषित किया गया है, जिमसें Govardha Khurd Stone, M-Sand & Khanda/Dhoka Quarry in an area of 4.00 ha. (stone- 20,000 m3/year M-sand - 5,000 m3/year & Khanda/Dhoka- 25,000 m3/year) टंकित हो गया है जबकि अनुमोदित माइन प्लांन, परिवेश पोर्टल पर आवेदन, पीएफआर में पत्थर–25,000 मी^{3} प्रति वर्ष, एम–सेंड–20,000 मी^{3} प्रति वर्ष एवं खांडा/ढ़ोका–5,000 मी^{3} प्रति वर्ष है, अतः तद्नुसार शुद्धिपत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।

समिति ने प्रकरण का अवलोकन किया और पाया कि लिपिकीय त्रुटिवश टंकित हो गया है। अतः समिति ने अपनी पूर्व की 655वीं बैठक दिनांक 22/06/2023 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित Govardha Khurd Stone, M-Sand & Khanda/Dhoka Quarry in an area of 4.00 ha. (stone- 20,000 m3/year M-sand - 5,000 m3/year & Khanda/Dhoka- 25,000 m3/year) के स्थान पर पत्थर –25,000 मी^{3} प्रति वर्ष, एम–सेंड–20,000 मी^{3} प्रति वर्ष एवं खांडा/ढ़ोका–5,000 मी^{3} प्रति वर्ष पढ़े जाने की अनुशंसा करती है, शेष अन्य शर्ते/अनुशंसा पूर्ववत यथावत रहेंगी।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.

20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from

DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets

(separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.

16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain

them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.

18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.

- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
    - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
    - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
    - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
    - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर